

केन्द्रीय सूचना आयोग
Central Information Commission
द्वितीय तल, ब विंग, अगस्त क्रान्ति भवन
2nd Floor, B-Wing, August Kranti Bhawan
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110 066
Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110 066

दिनांक: 10.10.2017

संचिका संख्या: CICOM/R/2017/01187/1

सेवा में

श्री विद्याधर पाण्डेय
1901, गौड़ वैश्विक ग्राम, चतुष्पथ गणतंत्र,
गाजियाबाद,
पिन-201016

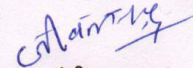
विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत आवेदन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 07.08.2017 का आवेदन, जो इस आयोग में दिनांक 22.09.2017 को कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय से अंतरण द्वारा प्राप्त हुआ, के माध्यम से वॉछित बिंदुवार सूचना अग्र्रांकित है:-

8.	प्रस्तुत संदर्भ में आप आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध आयोग के वार्षिक प्रतिवेदनों के संलग्नकों में उपलब्ध सूचना का अवलोकन करें।
9.	केन्द्रीय सूचना आयोग अपने क्षेत्रांतर्गत आने वाले मंत्रालयों/विभागों से निर्धारित प्रारूप, में प्रत्येक प्रतिवेदन वर्ष के दौरान त्रैमासिक आधार पर सूचना अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में सूचना एकत्रित करता है। इसके लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गयी है।
13.	आयोग के निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करवाना आयुक्त की संबंधित रजिस्ट्री की जवाबदेही है।
14.	ऐसी कोई सूचना संकलित नहीं की गयी है।
15.	ऐसी कोई सूचना संकलित नहीं की गयी है।
16 से 20.	प्रस्तुत सूचना के संदर्भ में आपका आवेदन, संबंधित जन सूचना अधिकारी को सीधे सूचना प्रेषित करने हेतु अग्रसारित किया जाता है।

उपरोक्त जवाब के विरुद्ध, यदि कोई प्रथम अपील है, इसके प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपीलीय अधिकारी, श्री आर० के० सिंह, अपर सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष उपर उल्लिखित पते पर की जा सकती है।


(जीवन चन्द्र)

सीपीआईओ-सह-कन्सल्टेंट (एम.एण्ड आर.)

प्रतिलिपि:1. श्री टी० के० मोहपात्रा, उप-सचिव एवं सीपीआईओ, केन्द्रीय रजिस्ट्री-2, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

आवेदन के बिंदु संख्या 16 से 20 तक की सूचना आयोग द्वारा अनुशंसित अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित हैं। अतः प्रस्तुत संदर्भ में प्रार्थी को सीधे सूचना प्रेषित करने हेतु प्रार्थी का आवेदन आपको अग्रसारित किया जाता है।

प्रतिलिपि:2. श्री अशोक कुमार शर्मा, सीपीआईओ, आरटीआई सेल, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।